तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1811/2006/जयपुर** **कल्याण सहाय बनाम प्रभू नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री गौरव बजाड़, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री हगामीलाल, अभिभाषक प्रार्थी। **निर्णय** **दिनांकः 27.08.2025** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु0 जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकार किया गया है। 2– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर सुनी गयी। 3– पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी से संबंधित मूल प्रकरण का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05–04–2010 को निस्तारण कर दिये जाने के उपरान्त प्रकरण की मूल पत्रावली रिकॉर्ड में जमा करवायी जा चुकी है। अतः मूल वाद का निस्तारण दिनांक 05–04–2010 को हो जाने से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 4– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर (Infructuous) सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1811/2006/जयपुर** **कल्याण सहाय बनाम प्रभू नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	